UPMZ040228582022

Bail Application/5680/2022

10.10.2022 **आदेश**

अभियुक्त नवाब द्वारा दिये गये जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन अधिकारी को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या 516/2022 धारा 3/5/8(1) गोवध अधिनियम थाना खतौली जिला मुजफफरनगर में न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रा0 पत्र पर तर्क प्रस्तुत किये कि अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूँठा फॅसाया गया है। उससे कोई बरामदगी नहीं हुई। अतः उसको जमानत दी जाये।

अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा कथन किया कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अभियुक्त पर गौकसी करने का आक्षेप है। मामलें की तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुये जमानत का युक्तियुक्त आधार नहीं हैं। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(मनोज कुमार जाटव)
प्र. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं01, मुजफ्फरनगर।